न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 73/18 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2018/00248

उनवान

1. नत्थी पुत्र उमराव जाति लोधा निवासी ग्राम डण्डौली तहसील धौलपुर (फौत)
   1/1. प्रताप पुत्र स्व0 श्री नत्थी जाति लोधा निवासी ग्राम डण्डौली तहसील धौलपुर।
   1/2. मदन पुत्र स्व0 श्री नत्थी जाति लोधा निवासी ग्राम डण्डौली तहसील धौलपुर।
   1/3. कैलाशी पुत्र स्व0 श्री नत्थी जाति लोधा निवासी ग्राम डण्डौली तहसील धौलपुर।
   1/4. लौगीराम पुत्र स्व0 श्री नत्थी जाति लोधा निवासी ग्राम डण्डौली तहसील धौलपुर।
   1/5. गौमा पत्नी रामबाबू जाति लोधा नि0 ग्राम सिंघावली तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।
2. जनक सिंह पुत्र स्व0 श्री पुन्ना जाति लोधा निवासी ग्राम डण्डौली तहसील धौलपुर।
3. विजय सिंह पुत्र स्व0 श्री पुन्ना जाति लोधा निवासी ग्राम डण्डौली तहसील धौलपुर।
4. फेरन सिंह पुत्र बाबू जाति लोधा निवासी ग्राम डण्डौली तहसील धौलपुर।
5. नाहर सिंह पुत्र बाबू जाति लोधा निवासी ग्राम डण्डौली तहसील धौलपुर।
6. पप्पू पुत्र बाबू जाति लोधा निवासी ग्राम डण्डौली तहसील धौलपुर।
7. माया पुत्री बाबू जाति लोधा निवासी ग्राम डण्डौली तहसील धौलपुर।
8. लौहरी पुत्री बाबू जाति लोधा निवासी ग्राम डण्डौली तहसील धौलपुर।
9. लीलो पुत्री बाबू जाति लोधा निवासी ग्राम डण्डौली तहसील धौलपुर।

......................अपीलांट।

बनाम

1. सीमाराना पत्नी स्व0 वीर राघवेन्द्र राना जाति जाट निवासी वीर भवन धूलकोट धौलपुर।
2. भगवती प्रसाद पुत्र ब्रहमजीत जाति लोधा निवासी ग्राम सिंघावली तहसील व जिला धौलपुर।
3. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा धौलपुर जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

.... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 27.11.2018 उनवानी सीमा बनाम नत्थी मु0न0 37/2017

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री अशोक कुमार अग्रवाल उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री राजेन्द्र सिंह राणा उपस्थित।

भू. प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील अधि...
भरतपुर

निर्णय दिनांक :– 25.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के आदेश दिनांक 27.11.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 216, 217 वाके ग्राम विरोंधा में प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 को 1/2 हिस्से का वर्तमान राजस्व अभिलेख में सहकाश्तकार अंकित कर दिया है जो गलत है। विवादित आराजी के अतिरिक्त जिन खसरा नम्बरान का उल्लेख वाद पत्र की चरण संख्या 01 में किया गया है उक्त समस्त आराजी में सर्वप्रथम हेम सिंह उर्फ पोप सिंह पुत्र मानपाल जाति लोधा निवासी डण्डोली 1/2 भाग का तथा नत्थी, पूरना, बाबू पिसरान उमराव जाति लोधा निवासी ग्राम भैंसेना तहसील धौलपुर 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार थे। जिसमें से हेम सिंह उर्फ पोप सिंह का 1/2 भाग विवादित था तथा शेष हिस्सा निर्विवाद था। पोप सिंह उर्फ हेम सिंह ने अपना 1/2 भाग प्रतिवादी रैस्पो0 02 के पक्ष में दिनांक 14.08.1978 को विक्रय कर दिया। इस आधार पर हेम सिंह उर्फ पोप सिंह के 1/2 भाग के अधिकार खातेदारी प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 को प्राप्त हुये। पोप सिंह उर्फ हेम सिंह के 1/2 हिस्से के संबंध में एक व्यक्ति पातीराम जाति लोधा द्वारा एक वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर में प्रस्तुत किया जो दिनांक 14.02.1984 को डिक्री हुआ। उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 ने अपील प्रस्तुत की, जो दिनांक 07.03.1986 को स्वीकार की जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर, धौलपुर को रिमाण्ड की गयी। तत्पश्चात् स्व0 पातीराम के वारिसो की ओर से न्यायालय हाजा के आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील दायर की गयी, जो स्वीकार की जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर के निर्णय को बहाल रखा गया। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के उक्त निर्णय की एक रिट याचिका माननीय उच्च पीठ जयपुर में प्रस्तुत की गयी, जो दिनांकक 31.08.2001 को स्वीकार की जाकर माननीय राजस्व मण्डल के आदेश को निरस्त किये जाकर, पुनः माननीय मण्डल को प्रतिप्रेषित की गयी। उक्त कार्यवाही के बीच माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील स्वीकार करने एवं न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 14.02.1984 को बहाल रखने के आधार पर राजस्व अभिलेखो में स्व0 पातीराम के वारिसान द्वारा अपना नाम दर्ज करा लिया। उन्हें निरस्त कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2006 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुयी, जो दिनांक 11.05.2007 को स्वीकार करते हुये आदेश हुआ कि स्व0 पातीराम के वारिसान के पक्ष में जो नामान्तकरण स्वीकार किया गया था उसे निरस्त किया जावें तथा संवत 2062 से 2065 के इन्द्राजो के अनुसार बहाल किये जावें। उसके आधार पर विवादित आराजी पर जो वादिया का नाम था उसे निरस्त करते हुये नत्थी, पूरना, बाबू 1/2 हिस्सा एवं भगवती प्रसाद हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया, जो विधि विपरीत है। क्योंकि विवादित दोनों खसरा नम्बरान में वादिया के अलावा अन्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

किसी व्यक्ति का कोई अधिकार शेष नहीं है। क्योंकि संवत 2044 से 2046 की जमावन्दी के अनुसार जो व्यक्ति हिस्सेदार थे उनके मध्य न्यायालय द्वारा विधिवत विभाजन हुआ और विभाजन में विवादित खसरा नम्बर नत्थी, पूरन व बाबू के हिस्से में आ चुके थे। उन्होनें विवादित खसरा नम्बरान को पंजीकृत विक्रय विलेख से वादिया के पक्ष में विक्रय कर दिया। इस प्रकार ऊपर वर्णित आधारो से इन्द्राजो की जो त्रुटि हुई है। उसके कारण वादिया का नाम निरस्त किया गया है। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर प्रतिवादी वादिया के अधिकारो से इंकारी हो गये। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 01., 03, 04, 07 लगायत 12 का जवाब दावा रिकार्ड पर आने के बाबजूद एक पक्षीय एवं बिना तनकीयात कायम किये अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक व्यक्तियो के खिलाफ डिक्री पारित की है। जवाब दावा दिनांक 02.11.2018 को प्रस्तुत कर दिया उस दिन कोई आपत्ति रैस्पो0 ने की एवं बाद में जवाब दावा देरीना प्रस्तुत करने के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के जवाब दावा को दरकिनार कर दिया। अपीलाट को ना तो कोई साक्ष्य का ही मौका दिया एवं ना ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2019 पेज 372, आरआरडी 2012 पेज 34, आरआरटी 2010(2) पेज 1207, एआईआर 2006 पेज 396 का उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट के पूर्वजो ने विवादित आराजी को पूर्व में हम रैस्पो0 को विक्रय कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यो की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। डिक्री की पालना हो चुकी है। गलत इन्द्राजो के आधार पर अपीलाण्ट का नाम विवादित आराजी पर 1/2 भाग में आ गया था। दिनांक 26.03.2018 को अपीलाण्ट के अधिवक्ता उपस्थित हुये उसके पश्चात् 02.11.2018 को जवाव दिया। जबकि जवाब दावा प्रस्तुत करने का समय अधिकतम 90 दिवस होता है। जहॉ तक मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध डिक्री पारित करने का प्रश्न है। मृतको के वारिस पूर्व से ही रिकार्ड पर थे। विक्रय पत्र को अपीलाण्ट ने कही चुनौती नहीं दी। अधीनस्थ न्यायालय में जल्द सुनवाई का प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2018 को प्रस्तुत हुआ था। उस रोज दोनों पक्ष उपस्थित थे। अतः यह नहीं कह सकते की डिक्री एक पक्षीय पारित हुयी है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पेशी दिनांक 11.09.2018 को प्रतिवादी को जवाब दावा प्रस्तुत करने का समय दिया जाकर अग्रिम पेशी दिनांक 25.09.2018 नियत की गयी है। परन्तु पेशी दिनांक

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

25.09.2018 को पत्रावली में कोई आदेशिका नहीं लिखी गयी है। तत्पश्चात् वादी रैस्पो0 के प्रार्थना पत्र बाबत् नजदीकी सुनवाई पर पत्रावली दिनांक 23.10.2018 को पेशी में ली जाकर अग्रिम पेशी दिनांक 30.10.2018 नियत की गयी है। उक्त तारीख पेशी को प्रतिवादी अपीलाण्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं रहें हैं एवं ना ही उन्हें उक्त तारीख पेशी बाबत् कोई सूचना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गयी है। क्योंकि पत्रावली वादी/रैस्पो0 के प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गयी थी। अतः प्रतिवादी को उक्त तारीख पेशी की सूचना, न्यायालय को दिया जाना न्यायोचित था। पेशी दिनांक 30.10.2018 को प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है एवं पेशी दिनांक 02.11.2018 को प्रतिवादी संख्या 01, 03, 04, 07 लगायत 12 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रैस्पो0 के प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सीपीसी पर बहस सुनी जाकर प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा को रिकार्ड पर नहीं लिया है। हमारी दृष्टि में अधीनस्थ न्यायालय का यह मत न्यायोचित नहीं है। जब प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत हो ही गया था, तो अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह उसे रिकार्ड पर लेते एवं तंत्पश्चात् प्रकरण में दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करते। यदि प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा देरी से प्रस्तुत किया गया था, तो उसकी पूर्ति कोस्ट से की जा सकती थी। न्यायालय का अस्तित्व पक्षकारों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए हैं, इस प्रकार तकनीकी बिन्दु पर वाद की उपेक्षा करना न्यायालय का ध्येय नहीं हो सकता है। इस प्रकार के निस्तारण से न्याय का हनन होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिवत सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 27.11.2018 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे को रिकार्ड पर लेकर एवं दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.11.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 25.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर